आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प अपील वाद संख्या –118 / 2019
सलेहा जिया
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
16.02.2023	इस वाद की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 4848 / 2020 में दिनांक 10.10.2022 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक श्री रामईश्वर भगत, पिता–श्री राम सतन भगत, ग्राम–परोहाँ, टोले मालडी, थाना–डुमरा, जिला–सीतामढ़ी को सूचना देते हुए आज दिनांक 16.02.2023 की तिथि निर्धारित की गई है। आवेदक श्री भगत सूचना भेजे जाने के बावजूद अनुपस्थित है। वाद का विषय वस्तु यह है कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के वाद सं0–127 / 2016–17 में दिनांक 29.09. 2018 को पारित आदेश एवं इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) के पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 जिसमें अपीलकर्ता के वाद को Time barrd के कारण खारिज किये जाने से संबंधित है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने श्री भगत के केवाला दिनांक 08.01.2015 में कमी मुद्रांक पाते हुए कमी मुद्रांक की राशि 76560 / – एवं उस पर जुर्माना की राशि 7656 / – अर्थात कुल 84216 / –जमा करने के आदेश दिया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने अपने आदेश दिनांक 10.10.2022 में अंकित किया है कि :– "Having regard to the fact and circumstances of the case and in the interest of justice, I deem it fit and proper to dispose off the present writ petition with a direction that in case the statutory amount of 50% of the payable deficit Stamp fees is deposited by the petitioner within a period of	

WEB COPY NOT OFFICIAL

four weeks from today, the aforesaid impugned order dated 30.07.2019, shall be deemed to have been quashed and the learned Divisional Commissioner, Tirhut Division, Muzaffarpur, shall proceed to hear the appeal filed by the petitioner on merits."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार श्री भगत Deficit amount का 50 % जमा करना था जो उनके द्वारा किये जाने का कोई साक्ष्य अब तक उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उन्होने (श्री भगत) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं इस न्यायालय द्वारा सूचना भेजे जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण यह स्पष्ट होता है कि इन्हें इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL